पूर्वोत्तर रेलवे

ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर में स्टाफ नर्स की कुल 21 रिक्त पद (वर्तमान रिक्ति एवं सम्भावित रिक्ति) के विरूद्व भारतीय रेल के सेवा निवृत्त (स्टाफ नर्स/नर्सिंग सिस्टर/चीफ मैट्रन) के री–इंगेजमेन्ट/संविदा पर स्टाफ नर्स नियुक्त किये जाने के लिए वाक–इन–इन्टरव्यू हेतु ऑनलाइन पंजीकरण फार्म–

अधिसूचना सं0 का/254/10/नियुक्ति/मेडिकल/8/भाग–I दिनांक 16.07.2018

ऑनलाइन पंजीकरण पूर्वोत्तर रेलवे के वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in दिनांक 17.07.2018 को प्रातः 10.00 बजे से उपलब्ध होगा तथा दिनांक 22.07.2018 को सायं 17.00 बजे बन्द हो जायेगा।

केवल पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही वाक–इन–इन्टरव्यू में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी। walk-in-interview की सम्भावित तिथि वेब साइट पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

पंजीकृत अभ्यर्थी वेबसाइट पर प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार walk-in-interview हेतु प्रमुकाधि, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के कार्यालय में प्रथम तल पर स्थित बैठक कक्ष में रिपोर्ट करें।

1. रिक्त पदों का समुदायवार विवरणः– सामान्य–10, ओबीसी–06, अजा–03, अजजा–02

सर्वप्रथम उपरोक्त रिक्तियों के विरूद्व सुयोग्य/सक्षम सेवानिवृत्त कर्मचारियों को री–इंगेज किया जायेगा। सुयोग्य/सक्षम सेवा निवृत्त कर्मचारियों के न मिलने पर शेष रिक्तियों पर संविदा के आधार पर नर्सों को नियुक्त किया जायेगा। दोनों प्रकार के आवेदन ऑनलाइन एक साथ आवेदित किया जायेगा।

2. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को री–इंगेज किये जाने हेतु निम्न शर्तें रहेंगीः–

(i) इस अधिसूचना के तहत आवेदन पर उम्र 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।

(ii) यह री–इंगेजमेन्ट स्कीम की अवधि दिनांक 01.12.2019 अथवा रेल कर्मचारियों के 65 वर्ष आयु पूर्ण होने तक अथवा आरआरबी/आरआरसी से कर्मचारी नामिका उपलब्ध होने अथवा विभागीय नामिका प्राप्त होने अथवा जो पहले हो तक की अवधि के लिए ही सीमित रहेगी एवं इनका कार्य विस्तार उपरोक्त शर्तों के अधीन स्कीम के अवधि विस्तार रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों तक सीमित रहेगा। री–इंगेजमेन्ट के समय सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सीय रूप से फिट होना चाहिए। री–इंगेज कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक व भत्ता रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 ई(एनजी)।।/2007/आरसी–4/1 दिनांक 16.10.17 एवं समय–समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तों से शासित होगा।

(iii) री–इंगेज्ड सेवा निवृत्त कर्मी की सेवा कभी भी बिना नोटिस समाप्त की जा सकती है।

(iv) रिक्तियों के अनुसार सम्बन्धित कैडर (संवर्ग) के सेवानिवृत्त रेल सेवक ही आवेदन कर सकते हैं।

(v) इसके लिए स्थानीय समाचारपत्रों में अधिसूचना जारी की जा रही है।

(vi) यह स्कीम 01.12.19 तक वैध होगा। तत्सम्बन्धित रेलवे बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का भी पालन किया जायेगा।

(vii) walk-in-interview के समय service certificate, PPO, पासपोर्ट आकार का दो रंगीन फोटोग्राफ एवं अन्य पहचान पत्र साथ आवश्यक लायें।

3. संविदा पर नियुक्त किये जाने हेतु निम्न शर्तें रहेंगीः–

(i) शैक्षिक योग्यता– भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यताप्राप्त किसी नर्सिंग स्कूल या अन्य संस्थान से सामान्य नर्सिंग का तीन वर्ष का पाठ्यक्रम और प्रसूति विद्या पास कर लेने के बाद उम्मीदवारों के पास पंजीकृत नर्स और दाई का प्रमाण पत्र अथवा बीएससी (नर्सिंग) का प्रमाणपत्र होना चाहिए।

16.7.18
APO/HQ/Nr

टिप्पणी– भारतीय नर्सिंग परिषद ने सहायक नर्स एवं दाई, दाई और ''बी'' ग्रेड नर्सो के सम्बंध में उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के लिए, पाठ्यक्रम की अवधि में कमी आदि के रूप में कुछ विशेष रियायते भी दी हैं। इन रियायतों के अन्तर्गत उपर निर्धारित अर्हता रखने वाले उम्मीदवार भी भर्ती के लिए पात्र होंगे।

(ii) आयु – 20 से 35 वर्ष के बीच। ओबीसी को 03 वर्ष, अजा/अजजा को 05 वर्ष की आयु सीमा में छूट होगी।

(iii) उन अभ्यर्थियों को तरजीह दी जा सकती है जिनके पास उपरोक्त निर्धारित योग्यताओं से अधिक योग्यता हो।

(iv) चिकित्सीय श्रेणी सी–1 में फिट होना चाहिए।

(v) संविदा पर स्टाफ नर्सों को अधिकतम 30.06.19 अथवा आरआरबी/आरआरसी से कर्मचारी उपलब्ध होने पर अथवा विभागीय नामिका प्राप्त होने में जो पहले हो तक की अवधि के लिए सीमित रहेगा।

(vi) संविदा पर नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को गोरखपुर क्षेत्र के अनुसार न्यूनतम रू0 44900/– एवं अन्य भत्ता जोड़ कर कुल रू0 57,153/– मासिक पारिश्रमिक देय होगा। एक माह से कम अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर पारिश्रमिक देय होगा। संविदा पर नियुक्त किये गये नर्सों को अवकाश, चिकित्सा, पास/पीटीओ आदि पाने के पात्र नहीं होंगे। वे रेलवे के नर्सिंग कैडर के भाग नहीं होंगे।

(vii) नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को संविदा पर कार्य पूर्ण करने के लिए रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर उपयुक्त राशि का क्षतिपूर्ति बंधकपत्र उपलब्ध कराना होगा। किसी भी परिस्थिति में यदि अभ्यर्थी द्वारा करार भंग होता है तो अभ्यर्थी बंधपत्र में अंकित राशि जमा करने के लिए बाध्य होगा। संविदा करार नियुक्त किये गये संविदा अभ्यर्थियों एवं चिकित्सा निदेशक के बीच कार्य आरम्भ करने से पूर्व किया जायेगा।

(viii) यदि करार के दोनो पार्टियो में कोई भी मतभेद उत्पन्न होता है तो महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के एकल मध्यस्थ का या उनके द्वारा एकल मध्यस्थ के रूप में नामित किसी राजपत्रित अधिकारी का निर्णय अंतिम तथा दोनों पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। संविदा के सामान्य शर्तो का मध्यस्थता खण्ड 64 लागू होगा।

(ix) **न्यायालय का क्षेत्राधिकार** : इस संविदा के अन्तर्गत उठने वाले किसी प्रकार के विवाद को निर्णित करने का न्यायिक न्यायिक क्षेत्राधिकार गोरखपुर होगा।

(x) साक्षात्कार का कार्यक्रम पूर्वोत्तर रेलवे वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर प्रकाशित किया जायेगा। रेलवे प्रशासन को साक्षात्कार की तिथि में परिवर्तन का अधिकार होगा। अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर साक्षात्कार की तिथि आगे भी बढ़ाई जा सकती है। अतः अभ्यर्थियों को दो–तीन दिन इंतजार करना पड़ सकता है। तदनुसार अभ्यर्थीगण इसके लिए तैयार होकर आवें। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आने–जाने के लिए किसी भी प्रकार का रेल यात्रा पास अथवा अन्य कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थीगण अपना पासपोर्ट आकार का दो रंगीन फोटोग्राफ, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता एवं जाति का मूल प्रमाण पत्र एवं एक सेट स्व सत्यापित छायाप्रति अवश्य लायें, इसके अभाव में उन पर विचार नहीं किया जायेगा।

16.7.18

(गोपाल प्रसाद गुप्ता)
सकाधि/मुख्यालय
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक